राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 437/2013/जयपुर.

1. रमेशचन्द पुत्र छोटेलाल जाति माली निवासी ऊंन बड़ागांव ढाणी कांचकी तहसील बसवा जिला दौसा.
2. रामधन पुत्र हाबूराम
3. कैलाश पुत्र हाबूराम
   जाति माली निवासीगण आभानेरी ढाणी शेखपुरा तहसील बसवा जिला दौसा. .....प्रार्थीगण.

बनाम

उप पंजीयक निरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर द्वितीय. .....अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुमित जैन, अभिभाषक .....प्रार्थीगण की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/02/2014

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थीगण द्वारा उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर–द्वितीय (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के आदेश क्रमांक लेखा/रिफण्ड/2012/3401 दिनांक 31.10.2012 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्री भगवाना पुत्र श्री· केशरा जाति माली निवासी गीजगढ़ तहसील सिकराय जिला दौसा द्वारा तहसील सिकराया जिला दौसा में स्थित अराजी खसरा नम्बर 905 व 906 में से अपने हिस्से की सम्पत्ति 105.71 बिस्वा का विक्रय प्रार्थीगण के पक्ष में रूपये 4,90,000/– में करना दर्शाते हुए निष्पादित विक्रय विलेख दस्तावेज दिनांक 13.8.2012 को उप–पंजीयक सिकराय के समक्ष प्रस्तुत किया। तत्पश्चात पक्षकारों द्वारा उक्त विक्रय विलेख को पंजीयन से इंकार किये जाने पर उप–पंजीयक द्वारा मूल विक्रय विलेख पक्षकारों को लौटा दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त विक्रय विलेख में लगे हुए मुद्रांक पत्र क्रमशः रूपये 20,000/–, 10,000/–, 5000/– व 5000/– कुल रूपये 40,000/– के रिफण्ड हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्र सहित प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान प्रार्थीगणा के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का सौदा अपरिहार्य कारणों से कैन्सिल होने के कारण विक्रय दस्तावेज के मुद्रांकों का वांछित प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं हो पाने के कारण इन मुद्रांक पत्रों के रिफण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि विवादितं सौदा कैन्सिल हो जाने से निष्पादित मुद्रांक पत्र प्रार्थीगण के उपयोग में नहीं आने के कारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसरण में इनकी राशि का रिफण्ड प्रार्थीगण को किया जाना चाहिये। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर निष्पादित विक्रय पत्र के मुद्रांकों के रिफण्ड हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया।

विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रार्थीगण की निगरानी अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकनं करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण एवं विक्रेता द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख अपरिहार्य कारणों से पंजीबद्ध नहीं हो पाने के कारण प्रार्थीगण द्वारा क्रय किये गये मुद्रांक पत्र प्रार्थीगण के किसी उपयोग में नहीं आ सके। उक्त मुद्रांक पत्रों की राशि के रिफण्ड हेतु प्रार्थीगण द्वारा निश्चित समयावधि में प्रार्थना—पत्र कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया, जिसे कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया है कि क्रेता—विक्रेता के मध्य संव्यवहार पूर्ण हो चुका है, ऐसी स्थिति में स्टाम्प शुल्क के दायित्व का सृजन हो चुका है।

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत सम्पत्ति का विक्रय पत्र प्रार्थी (क्रेता) एवं विक्रेता के मध्य दिनांक 13.8.2012 को रूपये 40,000/— के मुद्रांक पत्रों पर टंकित होने के पश्चात इस पर विक्रेता एवं क्रेता दोनों के हस्ताक्षर हो जाने के बाद इस निष्पादित दस्तावेज का पंजीयन कराने से विक्रेता द्वारा इन्कार कर दिये जाने के कारण प्रार्थी का प्रकरण मुद्रांक अधिनियम की धारा 58(डी)(vi) के अन्तर्गत आता है, जिसके रिफण्ड हेतु प्रार्थी को कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष मुद्रांक अधिनियम की धारा 59(प) के तहत दो माह की अवधि में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष दिनांक 3.10.2012 को प्रस्तुत कर दिया गया है, जो निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर (मुद्रांक) को विवादित मुद्रांक

लगातार.....3

पत्रों की राशि नियमानुसार प्रार्थीगण को रिफण्ड की जानी चाहिये थी। कलेक्टर (मुद्रांक) ने प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज किये जाने में प्रथम दृष्टया विधिक त्रुटि की है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वयपीठ द्वारा निगरानी संख्या 2373/2007/अलवर में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2011 में भी इसी प्रकार का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन व विधिक प्रावधानों के मद्देनजर प्रश्नगत विक्रय विलेख में उपयोग में लिये गये मुद्रांक पत्र प्रार्थीगण के उपयोग में नहीं आने से इनकी राशि प्रार्थीगण को लौटाये जाने योग्य पायी जाती है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए, प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल स्टाम्प्स पर ड्यूटी का भुगतान सम्यक रूप से किये जाने के तथ्य का समाधान सुनिश्चित करने के पश्चात प्रार्थीगण को प्रश्नगत मुद्रांक पत्रों की राशि का नियमानुसार रिफण्ड किया जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
18/04/15